राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

प्रकाशक:
NCCD
कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली- भारत
का स्वायत्त संगठन

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

ए.	एन.सी.सी.डी. - उद्देश्य एवं विषयपरक	1-2
बी.	स्थापना - एच.आर स्थिति(स्टेट्स)	3
सी.	सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेट्स)	3
डी.	एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति	4
ई.	एन.सी.सी.डी की शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल)	5-6
एफ.	लेखा एवं लेखापरीक्षा	7
जी.	तकनीकी एवं अन्य पहल	8
एच.	अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं अध्ययन	9
आई.	जागरूकता बढ़ाना, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां	10
जे.	क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रसार	11
के.	प्रयुक्त संकेतन और परिभाषाएं	12-13
एल.	लेखापरीक्षा रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा	

www.nccd.gov.in
011-23329586

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

दूसरा तल, बी-विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली-110001

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) की वार्षिक रिपोर्ट

ए. एन.सी.सी.डी - उद्देश्य एवं विषयपरक

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी) को 9 फरवरी, 2012 को कैबिनट द्वारा कार्योत्तर(पोस्ट फैक्टो) मंजूरी मिलने के बाद संचालित किया गया था। एन.सी.सी.डी हितधारकों की एक सोसायटी है जो एक प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और भारत में इससे कोल्ड-चेन के विकास में अग्रणी उत्कृष्टता की उम्मीद है।

एन.सी.सी.डी कोल्ड-चेन नीति के निर्माण तथा युक्तिकरण और डी.ए.सी तथा एफ.डब्ल्यु हेतु अपेक्षित हस्तक्षेपों में सहायता करता है। एन.सी.सी.डी ने विभाग की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले न्यूनतम सिस्टम दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और एपीडा(ए.पी.ई.डी.ए) ने कोल्ड-चेन विकास के लिए इन दिशानिर्देशों का उपयोग किया है।

एन.सी.सी.डी एक पंजीकृत सोसायटी है, जो सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मोड के तहत स्वायत्त तरीके से कोल्ड-चेन पर एक प्रबुद्ध मंडल(थिंक टैंक) के रूप में कार्य करती है और इसका सरकार की किसी लागत के बिना संचालन किया जाता है। प्रारंभ में सरकार द्वारा पूंजी प्रदान की गई थी और एन.सी.सी.डी के उद्देश्य निम्नानुसार सिफारिश करना, सुझाव देना, आकलन करना, कार्य(अंडरटेक) तथा समन्वय करना, सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देना है :

- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन सहित कोल्ड-चेन आधारिक संरचना/भवन हेतु मानकों और प्रोटोकॉलों की सिफारिश करना ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रैक्टिसों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और कोल्ड-चेन उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आधारिक संरचना/भवन, प्रक्रिया और सेवाओं के बैंचमार्किंग और प्रमाणन के लिए तंत्र(मेकेनिज्म) का सुझाव देना।
- संभावित निवेशकों/उद्यमियों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सांकेतिक दिशा-निर्देशों संबंधी सुझाव देना।
- कोल्ड-चेन आधारिक संरचना के लिए उपयुक्त आई.टी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का आकलन और विकास करना।

- हितधारकों के परामर्श से कोल्ड-चेन उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) कार्य करना और समन्वय करना। .
- मानव संसाधन विकास(एच.आर.डी) और क्षमता निर्माण के कार्य को शुरू करना और समन्वय करना। यह कोल्ड-चेन विकास के लिए संबंधित गृह(इन-हाउस) प्रशिक्षण, अल्पकालिक/दीर्घकालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित कर सकता है।
- हितधारकों को एकीकृत कोल्ड-चेन के लाभों के बारे में जागरूक करने तथा शिक्षित करने के लिए प्रचार अभियान शुरू करना।
- कोल्ड-चेन के विकास से संबंधित उपयुक्त नीतिगत ढांचे(फ्रेमवर्क) की सिफारिश करना।
- विकारी(पेरिशेबल) कृषि, बागवानी और संबद्ध वस्तुओं के लिए बहु-मॉडल सुविधाओं के विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय विकारी(पेरिशेबल) वस्तुएं ग्रीन ग्रिड की स्थापना करना।

बी. स्थापना - एच.आर स्थिति(स्टेट्स)

श्री दिनेश कुमार, जे.एस(एमआईडीएच) दिनांक 10.10.2017 से दिनांक 18.04.2018 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री पी.के. स्वाईं, जे.एस(विपणन) ने दिनांक 19.04.2018 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। कोल्ड-चेन उद्योग के एक विशेषज्ञ श्री पवनेष कोहली ने फरवरी, 2014 से एन.सी.सी.डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करना जारी रखा।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(ई.सी) ने प्रारंभ में 13 कर्मचारियों की मंजूरी दी, जिसके प्रति दिनांक 31.3.2019 को 6 व्यक्ति पदस्थ थे। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव(एसी एंड एफडब्ल्यु) की अध्यक्षता में 13 सदस्य होते हैं। शासी परिषद्(गवर्निंग काउंसिल) में अध्यक्ष के रूप में सचिव(एसी एंड एफडब्ल्यु) के तहत 16 सदस्य होते हैं। ई.सी एवं जी.सी सदस्यों की सूची संलग्न है:

सी. सोसायटी सदस्यता स्थिति(स्टेट्स)

मार्च, 2019 में, एन.सी.सी.डी में 24 आजीवन सदस्य हैं। सदस्यों की श्रेणी-वार सूची :

श्रेणी-फीस(रु.)	वार्षिक	जीवनपर्यंत	कुल
कंपनी-सी (50,000 / 4,00,000)	-	5	5
एसोसिएट-ए (10,000)	-	-	-
शैक्षिक संस्थान - आर शून्य(निल)	-	16	16
संरक्षक(पैट्रॉन)- पी (20,00,000)	-	1	1
उत्पादक(ग्रोवर)-जी (टर्नओवर <5 लाख- (निल); अन्य - 10,000)	-	-	-
उद्योग निकाय(बॉडी) - आई (75,000 / 5,00,000)	-	2	2
	-	24	24

सोसायटी के सदस्य हितधारकों के रूप में एन.सी.सी.डी की गतिविधियों में शामिल होते हैं और एन.सी.सी.डी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञानप्रसार गतिविधि कर सकते हैं। सहभागिता करने वाले सदस्यों के नामांकन सामान्य रूप से खुले(ओपन एंडेड) होते हैं और चयन समिति द्वारा आवेदनों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा, कोल्ड-चेन विकास के लिए नोडल अधिकारियों को एम.आई.डी.एच द्वारा राज्यों में नामित किया जाता है, जिनसे राज्य स्तर की गतिविधियों संबंधी संबंध स्थापित और समन्वय करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, यह देखा गया है कि राज्य स्तर पर निरंतर पुन: समनुदेशन और परिवर्तन होते हैं।

डी. एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति (मार्च, 2019)

क्रमांक	नाम एवं पता	पदनाम
1.	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
3.	संयुक्त सचिव(एम.आई.डी.एच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
4.	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य (दिनांक 7.1.2013 को जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
5.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–18, गुडगांव, हरियाणा	समिति सदस्य
6.	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि, (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष पद से कम नहीं) रेल भवन, नई दिल्ली	समिति सदस्य
7.	प्रबंध निदेशक, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौस खास, नई दिल्ली	समिति सदस्य

8.	सचिव के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित (दिनांक 25.7.14 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
9.	सचिव के प्रतिनिधि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग(डी.ए.एच.डी.एफ), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित (दिनांक 25.7.14 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
10.	भारतीय उद्योग संघ(सी.आई.आई) के प्रतिनिधि	समिति सदस्य
11.	कोल्ड स्टोरेज सेवा प्रदाता से निर्वाचित सदस्य	समिति सदस्य
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.सी.सी.डी (जी.सी. में उद्योग विशेषज्ञ)	समिति सदस्य (दिनांक 21.12.2018 को तीसरी(3rd) जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
13.	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार यदि अन्यथा ब्रैकेट में नहीं कहा गया हो)

ई. एन.सी.सी.डी की शासी(गवर्निंग) परिषद् (मार्च, 2019)

क्रमांक	नाम एवं पता	पदनाम
1.	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2.	अपर सचिव(प्रभारी बागवानी) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित
3.	वित्त सलाहकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य (दिनांक 2.3.15 को सचिव, ए.सी एंड एफ.डब्ल्यु द्वारा अनुमोदित)
4.	महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो(बी.आई.एस), मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य

क्रमांक	नाम एवं पता	पदनाम
5.	संयुक्त सचिव(एम.आई.डी.एच), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	कृषि विपणन सलाहकार एवं संयुक्त सचिव(विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	सचिव के प्रतिनिधि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम न हो, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर–18, गुडगांव, हरियाणा	पदेन सदस्य
9.	रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि, (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के समक्ष पद से कम नहीं) रेल भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10.	अध्यक्ष-अपीडा(ए.पी.ई.डी.ए) एन.सी.यू.आई भवन, 3 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
11.	प्रबंध निदेशक, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 4/1, सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौस खास, नई दिल्ली-110016	पदेन सदस्य
12.	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी/प्रमुख सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
13.	डी.ए.सी. द्वारा नामित दो भिन्न राज्यों के ए.पी.सी/प्रमुख सचिव/सचिव(कृषि/बागवानी/विपणन)	भारत सरकार द्वारा नामित
14.	भारतीय उद्योग संघ(सी.आई.आई) का प्रतिनिधि 23, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	पदेन सदस्य
15.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन.सी.सी.डी., (जी.सी. में उद्योग विशेषज्ञ)	पदेन सदस्य (दि. 21.12.2018 को तीसरी(3rd) जी.सी. द्वारा अनुमोदित)
16.	निदेशक, एन.सी.सी.डी	सदस्य सचिव

(एन.सी.सी.डी के उपनियमों के अनुसार यदि अन्यथा ब्रैकेट में नहीं कहा गया हो)

एफ. लेखा एवं लेखापरीक्षा

एन.सी.सी.डी को दिनांक 27.01.2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए बनाया गया था। कैबिनट द्वारा दिनांक 09.2.2012 को अनुमोदन प्रदान करने के बाद, डी.ए.सी एवं एफ.डब्ल्यु ने इतनी ही धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए रु.25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि एन.सी.सी.डी को ब्याज के रूप में अर्जित आय और एन.सी.सी.डी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और शुल्क से अर्जित अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिकों और अन्य लागतों को पूरा करने में किया जाएगा, जैसा कि इसकी शासी(गवर्निंग) परिषद् द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी का गठन इस तरह से किया गया है कि यह दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी से दूर होता है और सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव की वजह से कोई लागत नहीं आती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन. एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए खातों की लेखापरीक्षा की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

मद	रुपए लाख में
ब्याज के रूप में आय	225.38
घटाएं : प्रशासनिक खर्चे	94.19
व्यय से अधिक आय	131.19
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	33.81
अगले 5 वर्ष “सामान्य सावर्जनिक उपयोगिता” के प्रयोजनों के लिए अलग शेष(बैलेंस) - सेट अपार्ट(set apart)	97.38
कुल	131.19

एन.सी.सी.डी को जुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत “सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता” के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय में से 85% अव्ययित धनराशि पर कर लग सकता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11(2) के तहत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए अलग(set apart) नहीं किया जाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कोई आयकर देयता नहीं है। एन.सी.सी.डी को दिनांक 01.04.2016 से कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से छूट दी गई है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षा और वार्षिक लेखे संलग्नक **एल** के रूप में संलग्न हैं।

जी. तकनीकी और अन्य पहल

जी.आई.जेड के साथ हरित नवप्रवर्तन केंद्र(ग्रीन इनोवेशन सेंटर)

जर्मनी दूतावास के माध्यम से जी.आई.जेड ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में टमाटर तथा आलू खेत से बाजार तक मूल्य शृंखलाओं को संबोधित करने हेतु एक परियोजना का प्रस्ताव दिया था। एन.सी.सी.डी से अनुरोध किया गया कि वह सलाहकार क्षमता में प्रस्ताव का मूल्यांकन करें। इन चर्चाओं के दौरान डी.ए.सी एवं एफ.डब्ल्यु ने एन.सी.सी.डी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया। यह तदनुसार डी.ई.ए(D.E.A) द्वारा अनुमोदित किया गया था और वर्ष 2018 में हरित नवप्रवर्तन केंद्र(ग्रीन इनोवेशन सेंटर) का परिचालन किया गया। एन.सी.सी.डी की 7वीं ई.सी ने महसूस किया कि एन.सी.सी.डी को केवल ज्ञान भागीदार की क्षमता में सेवा प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद, एन.सी.सी.डी इस परियोजना के लिए डोमेन विशिष्ट इनपुट प्रदान कर रहा है, जो अब आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में चल रहा है।

राष्ट्रीय शीतलन कार्रवाई योजना(नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान)

एम.ओ.ई.एफ एवं सी.सी ने भारत नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान(एन.सी.ए.पी) को मार्च, 2019 को किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन के अनुरूप जारी किया है। एन.सी.सी. डी प्रमुख विशेषज्ञ संसाधन था और इसने कोल्ड-चेन घटकों को अधिकृत किया जो पूरी तरह से अपनाए गए थे। एन.सी.सी.डी ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में कोल्ड-चेन के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखा, न कि इसे जी.एच.जी में योगदानकर्ता के रूप में माना गया।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन(आई.एस.ए)

आई.एस.ए ने अपने सदस्य राष्ट्रों में कोल्ड-चेन कृषि जरूरतों को संबोधित करने हेतु सौर शीतलन(सोलर कूलिंग) पहल शुरू की, जिसमें एन.सी.सी.डी केवल ज्ञान भागीदार के रूप में है। इस पहल में एन.सी.सी.डी द्वारा प्रचारित कम्यूनिटी कूलिंग हब की अवधारणा शामिल है। एन.सी.सी.डी ने आई.एस.ए में अंतरराष्ट्रीय कार्य समूह हेतु अगले कदम और लक्ष्य भी विकसित किए हैं और आई.एस.ए के साथ सहभागिता जारी है।

ए.पी.एल.एम.सी दिशानिर्देशों पर समिति

अपर मुख्य सचिव(ए.सी.एस) हरियाणा के अध्यक्ष(चेयर) के तहत एन.सी.सी.डी इस समिति का सदस्य है और कोल्ड-चेन पहलुओं पर इनपुट प्रदान करता है।

कृषि-व्यवसाय मॉडलों पर नीति आयोग कार्यदल(टास्क फोर्स)

एन.सी.सी.डी पूरे देश में 100 कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र एंकरों को आमंत्रित करने हेतु मापदंडों को तैयार करने वाली इस समिति का सदस्य है।

एन.सी.डी.सी समर्थन(सपोर्ट)

एन.सी.सी.डी का एन.सी.डी.सी के साथ परस्पर संवाद है जिसने एक कोल्ड-चेन प्रभाग भी स्थापित किया है। एन.सी.सी.डी ने लक्ष्मणराव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट(एल.आई.एन.ए.सी) में कोल्ड-चेन में एन.सी.डी.सी के अधिकारियों और अन्य प्रशिक्षुओं की क्षमता का निर्माण का कार्य किया है। एन.सी.सी.डी ने एन.सी.डी.सी द्वारा हाल ही में आयोजित प्रथम भारत अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में ज्ञान भागीदार के रूप में डोमेन समर्थन भी प्रदान किया।

कोल्ड-चेन उत्कृष्टकता केंद्र पर हरियाणा राज्य की कोर समिति

हरियाणा सरकार ने उत्कृष्टता के एक आधुनिक केंद्र को विकसित करने हेतु एन.सी.सी.डी के इनपुटों को लिया जो फलों और सब्जियों की कटाई के बाद (पोस्ट-हार्वेस्ट) के रखरखाव(हैंडलिंग) में प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम तरीके से प्रकाश डालेंगे।

लॉजिस्टिक्स कौशल परिषद(काउंसिल)

एन.सी.सी.डी को वर्ष 2018 में शासी निकाय(गवर्निंग बॉडी) के सदस्य के रूप में लिया गया था। कोल्ड-चेन जनशक्ति(मैनपॉवर) हेतु कौशल मॉड्यूल विकसित करने पर कई बैठकें आयोजित की गई।

एच. अनुप्रयुक्त अनुसंधान और अध्ययन

किसानों की आय दोगुनी करने पर अंतर-मंत्रालयी समिति : एन.सी.सी.डी को वर्ष 2017-18 में डी.एफ.आई समिति हेतु एक ज्ञान भागीदारी के रूप में चुना गया था, और वर्ष 2018-19 में अपने प्रयासों के एक प्रमुख हिस्से को संबंधित अध्ययनों और इस समिति की रिपोर्टों में सहायता करने के लिए समर्पित किया। एन.सी.सी.डी ने इस समिति की रिपोर्ट के संस्करणों को विकसित करने के लिए विशेष रूप से एग्री-लॉजिस्टिक्स, विपणन, सेकेंडरी कृषि, विस्तार सेवाएं, विज्ञान, संरचनात्मक सुधारों और शासन(गवर्नेंस) के संबंध में सूचना और विश्लेषण का एक व्यापक संग्रह प्रदान किया। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के समवर्ती स्वीकृति और कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं में किए अन्य संबंधित कार्य किए गए थे।

सितंबर, 2018 में डी.एफ.आई रिपोर्ट तैयार करने और उसे जारी करने में एन.सी.सी.डी पूरी तरह से शामिल रहा। तब से, डी.एफ.आई पर अधिकार प्राप्त निकाय के सदस्य के रूप में सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी बने रहे और तदनुसार सहायता की।

एन.डी.डी.बी अध्ययन

जनवरी, 2019 में एन.डी.डी.बी ने एन.डी.पी-I के तहत "डेयरी क्षेत्र में अपने अंतराल के साथ मूल्य शृंखला में खरीद, प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन अवसंरचना की आवश्यकताओं का आकलन" पर एक अध्ययन करने हेतु एन.सी.सी.डी को नामित करने की अपनी इच्छा प्रकट की है। एन.सी.सी.डी के सदस्य के रूप में सी.आई.आई-एफ.ए.सी.ई के साथ कई बातचीत और बैठकें आयोजित की गई और प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया। हालांकि, एन.सी.सी.डी ने अध्ययन की अवधारणा में चूक को उजागर किया और जो लंबित हैं।

आई. जागरूकता बढ़ाना, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां

कोल्ड-चेन में उत्कृष्टता पुरस्कार

एन.सी.सी.डी ने देश में कोल्ड-चेन में दो सबसे प्रशंसित उत्कृष्टता पुरस्कारों का समर्थन करना जारी रखा है। एन.सी.सी.डी कोल्ड-चेन में उत्कृष्टता हेतु आई.सी.ई. उत्कृष्टता पुरस्कारों(डैनफॉस द्वारा समर्थित) और एन.सी.सी.डी - सी.आई.आई पुरस्कारों के लिए जूरी की अध्यक्षता करता है। एन.सी.सी.डी - सी.आई.आई पुरस्कारों का तीसरा संस्करण 23 सितंबर, 2018 को आयोजित किया गया था और नौवां आई.सी.ई पुरस्कार समारोह 16 नवंबर, 2018 को आयोजित किया गया था। प्रत्येक अवसर पर कोल्ड-चेन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है।

अन्य कार्यक्रम और बातचीत(इंटरेक्शन्स)

एम.आई.डी.एच तथा ए.पी.ई.डी.ए(अपीडा) की तकनीकी समतियों में एन.सी.सी.डी है। एन.एच.बी द्वारा विभिन्न डोमेन इनपुट मांगे जाते हैं; संसद के प्रश्नों पर नियमित इनपुटों; आई.सी इंटरेक्शन(फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, फ्रांस, फिजी, यू.एस.ए इत्यादि) का समर्थन करना; मूल्य वृद्धि को कम करने हेतु कार्रवाई सहित प्याज निकासी और भंडारण विकल्पों पर उपभोक्ता मामले विभाग को मागदर्शन प्रदान किया; एस.एफ.ए.सी.एच के साथ विचारावेश(ब्रेन स्टोर्मिंग) सत्र; एम.ओ.सी.आई और एन.सी.ए.ई.आर के सहित ए.डी.बी के साथ पॉलिसी राउंडटेबल्स; एग्री-लॉजिस्टिक्स पर राज्यों की तैयारियों पर डी.ए.सी एवं एफ.डब्ल्यु को इनपुट; राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की पहचान करने में इनपुट; कोल्ड-चेन में एफ.डी.आई हेतु निर्णय निर्धारण का समर्थन; वाराणसी से कृषि निर्यात की सुविधा के लिए

एम.ओ.सी.आई को संशोधित पी.एम.के.एस.वाई लागत मानदंडों पर एम.ओ.एफ.पी.आई के लिए इनपुट; रेफर ट्रकों पर एम.ओ.आर.टी.एच को इनपुट, इत्यादि।

जे. क्षमता निर्माण एवं ज्ञान प्रसार

एन.सी.सी.डी विभिन्न स्तरों पर बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार में लगा हुआ है। इस अवधि में, एन.सी.सी.डी ने एल.बी.एस.एन.ए.ए और एन.डी.सी में प्रशिक्षुओं हेतु, एन.आई.ए.एम में लोकसभा अध्यक्ष के अनुसंधान पहल पर संसद सदस्यों हेतु चार व्याख्यान दिए, दो विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसमें नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने भाग लिया।

के. प्रयुक्त संकेतन एवं परिभाषाएं

ए.पी.ई.डी.ए	निर्यात विकसित करने के अधिदेश सहित वाणिज्य मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और जो कोल्ड-चेन आधारिक संरचना का विकास भी करता है।
सी.आई.आई.	भारतीय उद्योग परिसंघ : सी.आई.आई अपने खाद्य एवं कृषि उत्कृष्टता केंद्र(एफ.ए.सी.ई) के माध्यम से एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ मिलकर काम करता है और एन.सी.सी.डी की तरफ से एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है।
डी.ए.सी एंड एफ डब्ल्यु	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
ई.सी	कार्यकारी समिति : वह समिति जो किसी संगठन के कार्यकारी कार्यों का निर्णय करती है।
एफ.ए.ओ	संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन
एफ.सी.एस.ए.ओ.आई	फेडेरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया : कोल्ड स्टोरेज के राज्य स्तरीय संघों का अखिल भारतीय गठबंधन।
एफ.पी.ओ	किसान उत्पादक संगइन : जहां किसानों का एक समूह जो अपने उद्यम स्तर संचालन हेतु एक संस्थागत संरचना का निर्माण करता है।
जी.सी	शासी परिषद् : वह परिषद् जो कार्यकारी(एक्जिक्यूटिव) की देखरेख करती है और नीतिगत स्तर के निर्णय लेती है।
एच.सी.एफ.सी	हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कार्बन : रेफ्रिजरेंटों में उपयोग किए जाने वाले अक्रिय यौगिकों का एक वर्ग, जो सी.एफ.सी की तुलना में ओजोन परत के लिए कम विनाशकारी है। हालांकि, उनमें ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता होती है।
आई.सी.ए.पी	एकीकृत कोल्ड-चेन उपलब्धता मंच(प्लेटफॉर्म)
एम.आई.डी.एच	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन: वर्ष 2014 में शुरू किया गया, यह मिशन बागवानी पर पिछली सभी योजनाओं को पूरा करता है ताकि समग्र परिणामों के लिए गतिविधियों को एकीकृत एवं आगे बढ़ाया जा सके।
एम.ओ.एफ.पी.आई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय : कोल्ड-चेन सब्सिडी कार्यक्रमों को भी लागू करता है।
एन.सी.सी.डी	राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र : सार्वजनिक एवं निजी हितधारकों की एक सोसायटी, जिसे कृषि मंत्रालय प्रारंभिक पूंजी प्रदान करता है और सरकार के बिना किसी लागत के सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में एक स्वायत्त तरीके से कार्य करती है।
एन.एच.बी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी ।
एन.एच.एम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन : एम.आई.डी.एच की उप-योजना ।
एन.एल.ए	राष्ट्रीय स्तर एजेंसी : तकनीकी और ज्ञान का समर्थन प्रदान करने के लिए उपयुक्त

	विशेषज्ञता के साथ एम.आई.डी.एच द्वारा पहचाने गए संगठन। एन.एल.ए.एस योजना को लागू नहीं करते हैं लेकिन कार्य योजना की स्वीकृति के बाद विशिष्ट सहायता कार्यों हेतु संसाधन आबंटित किए जाते हैं।
पी.एच.डी	पी.एच.डी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री : एन.सी.सी.डी सचिवालय के साथ पी.एच.डी मिलकर काम करता है, और एन.सी.सी.डी की तरफ से सीधे एन.सी.सी.डी के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल है।
पी.पी.पी	सार्वजनिक निजी भागीदारी । आमतौर पर यह आधारिक संरचना परियोजनाओं में देखा जाता है, जहांएक रियायतकर्ता सरकारी सहयोग के रूप में भूमि और निधियों का उपयोग करता है, और परियोजना रियायत अवधि के अंत में सरकार को वापस कर देता है। एन.सी.सी.डी के मामले में इसका अतिरिक्त अर्थ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संयुक्त नेतृत्व संरचना के माध्यम से संचालन और कार्यों को संयुक्त रूप से व्यवस्थित करते हैं, जहां प्रशासन सरकार के अधीन है और उद्योग नेतृत्व द्वारा कार्यकारी निर्णय किया जाता है।
एस.एच एम	राज्य बागवानी मिशन : एम.आई.डी.एच की केंद्रीय प्रायोजित गतिविधियों की राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी।
यू.एन.ई.पी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम।

संलग्नक - एल

एन.सी.सी.डी के आय एवं व्यय का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :

(रुपए लाख में)

क्रमांक	आय/व्यय	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ए	**आय**								
1.	ब्याज के रूप में आय	0.34	183.58	253.73	263.26	275.03	285.42	254.20	225.38
2.	सदस्यता शुल्क	12.00	3.41	39.48	25.48	16.97	17.15	4.22	-
3.	मूल्यांकन(appraisal) की फीस	-	-	11.40	45.80	22.93	4.01	-	-
	कुल - ए	**12.34**	**186.99**	**304.61**	**334.54**	**314.92**	**306.58**	**258.42**	**225.38**
बी	**खर्चे**								
1.	वेतन	-	6.37	23.89	76.90	72.89	85.46	81.28	76.71
2.	अन्य/पूंजीगत(capital) खर्चे	0.38	5.64	20.30	28.03	11.69	22.41	15.93	17.48
	कुल - बी	**0.38**	**12.01**	**44.19**	**104.93**	**84.58**	**107.87**	**97.21**	**94.19**
सी	**अधिशेष(Surplus) (ए-बी)**	**11.96**	**174.98**	**260.42**	**229.61**	**230.34**	**198.71**	**161.21**	**131.19**

*

ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

4232/1, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002
फोन : 23261100; 23263598,
ई-मेल: jn50@rediffmail.com

फार्म नं.10बी

[नियम 17-बी देखें]

धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए(बी) के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र, नई दिल्ली के तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की और उस वर्ष के लिए आय और व्यय का खाता उस तिथि को समाप्त हो गया है, जो उक्त संस्था द्वारा बनाए गए खाता बही(बुक ऑफ अकाउंट) के अनुसार है।

हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया है। उन मानकों की आवश्यकता है कि हम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण से मुक्त उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाते हैं और लेखापरीक्षा करते हैं। इस लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में मात्रा(अमाउंट्स) और खुलासे का समर्थन करने वाले परीक्षण के आधार पर जांच शामिल है। इस लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी राय और रिपोर्ट के लिए हमारी लेखापरीक्षा एक उचित आधार प्रदान करती है।

हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, उपयुक्त खाता बही प्रधान कार्यालय में रखी गई हैं। नीचे दी गई टिप्पणियों :

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त खाते सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं:

(क) 31 मार्च, 2019 तक उपर्युक्त नामतः संस्थान की परिस्थिति(स्टेट ऑफ अफेयर्स) के तुलन-पत्र के मामले में; और

(ख) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में व्यय से अधिक आय के लाभ अथवा हानि खाते के मामले में निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न किए जाते हैं।

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन. सं.: 001876 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 26-09-2019

(जितेंद्र नाथ)
साझेदार
सदस्यता सं. : 015549

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र

(रुपये)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पूंजीगत निधियां एवं देयताएं :			
पूंजीगत निधि(कॉर्पस)	1	250,000,000	250,000,000
सामान्य निधि(आरक्षित एवं अधिशेष)	2	62,398,354	59,017,572
आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड	3	55,566,030	45,827,572
चालू देयताएं	4	7,986,508	13,764,313
स्थायी परिसंपत्तियां - कोन्ट्रा, कॉर्पस	5	12,739	16,152
स्थायी परिसंपत्तियां - कोन्ट्रा, एन.एल.ए	5	474,084	569,949
कुल		**376,437,715**	**369,195,558**
परिसंपत्तियां :			
स्थायी परिसंपत्तियां - कोन्ट्रा, कॉर्पस	5	12,739	16,152
स्थायी परिसंपत्तियां - कोन्ट्रा, एन.एल.ए	5	474,084	569,949
निवेश - मियादी जमा	6	331,800,000	331,800,000
चालू परिसंपत्तियां,ऋण और अग्रिम	7	44,150,892	36,809,457
कुल		**376,437,715**	**369,195,558**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां 10

अंकित तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन : 001876 एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के.ढींगरा)
वित्त सलाहकार

(पवनेष कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रशांत कुमार स्वाईं)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2019

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(रुपये)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
आय :			
सदस्यों का अंशदान		-	422,000
अर्जित ब्याज	8	22,538,550	25,419,702
कुल(ए)		**22,538,550**	**25,841,702**
राजस्व व्यय :			
स्थापना(वेतन एवं मजदूरी)		7,670,693	8,125,732
प्रशासनिक व्यय	9	1,748,617	1,593,160
कुल(बी)		**9,419,310**	**9,720,573**
व्यय से आय की अधिकता(ए-बी)		**13,119,240**	**16,121,129**
घटाएं : जनरल रिजर्व में अंतरित		3,380,782	3,876,255
आई.टी.अधिनियम की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड(set aside)		9,738,458	12,244,874

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियां 10

अंकित तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स**

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफ.आर.एन : 001876 एन

कृते राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केन्द्र

(सी.ए. जितेंद्र नाथ)
साझेदार
सदस्यता संख्या 015549

(के.के.ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेष कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रशांत कुमार स्वाईं)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2019

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र(एन.सी.सी.डी.)

31 मार्च, 2019 को वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाती हुई अनुसूचियां

अनुसूची 1 : पूंजीगत निधि (कॉर्पस)

(रुपये)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
भारत सरकार		
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/एन.एच.बी	250,000,000	250,000,000
कुल	**250,000,000**	**250,000,000**

अनुसूची 2 : सामान्य निधि (आरक्षित एवं अधिशेष)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस)	59,017,572	55,141,317
जोड़ें : व्यय से अधिक आय	3,380,782	3,876,255
कुल	**62,398,354**	**59,017,572**

अनुसूची 3 : आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड(set aside)

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार आरंभिक शेष(ओपनिंग बैलेंस)	45,827,572	33,582,698
जोड़ें : आई.टी.अधिनियम 1961 की धारा11(2) के तहत सेट एसाइड(set aside)	9,738,458	12,244,874
कुल	**55,566,030**	**45,827,572**

अनुसूची 4 : चालू देयताओं का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
देय खर्चे	67,868	6,270,363
देय एन.एल.ए निधि	7,918,640	7,493,950
कुल	**7,986,508**	**13,764,313**

अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्तियां-कॉर्पस

(रुपये)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यु.डी.वी	जोड़ें (एडीशन्स)	कुल	मूल्यह्रास	डब्ल्यु.डी.वी
		1.4.2018 को	वित्त वर्ष 2018-19	31.3.2019 को	चालू वर्ष हेतु	31.3.2019 को
वाटर डिस्पेंसॅर	15%	3,899.00	-	3,899.00	585.00	3,314.00
माइक्रोवेव	15%	4,892.00	-	4,892.00	734.00	4,158.00
मोबाइल	15%	5,161.00	-	5,161.00	774.00	4,387.00
उप-योग		**13,952.00**	-	**13,952.00**	**2,093.00**	**11,859.00**
कंप्यूटर्स	60%	1,322.00	-	1,322.00	793.00	529.00
लैपटॉप	60%	458.00	-	458.00	275.00	183.00
सॉफ्टवेयर(टैली)	60%	420.00	-	420.00	252.00	168.00
उप-योग		**2,200.00**	-	**2,200.00**	**1,320.00**	**880.00**
कुल		**16,152.00**	-	**16,152.00**	**3,413.00**	**12,739.00**

अनुसूची 5- स्थायी परिसंपत्तियां-एन.एल.ए

(रुपये)

विवरण	ब्लॉक	डब्ल्यु.डी.वी	जोड़ें (एडीशन्स)	कुल	मूल्यह्रास	डब्ल्यु.डी.वी
		1.4.2018 को	वित्त वर्ष 2018-19	31.3.2019 को	चालू वर्ष हेतु	31.3.2019 को
फर्नीचर	10%	150,533.00	-	150,533.00	15,053.00	135,480.00
उप-योग		**150,533.00**	-	**150,533.00**	**15,053.00**	**135,480.00**
कॉर्डलेस फोन	15%	45,039.00	-	45,039.00	6,756.00	38,283.00
एल.सी.डी. स्क्रीन	15%	30,929.00	-	30,929.00	4,639.00	26,290.00
स्कैनर/फोटोकॉपियर	15%	23,752.00	-	23,752.00	3,563.00	20,189.00
टैबलेट्स	15%	69,853.00	-	69,853.00	10,478.00	59,375.00
मोबाइल	15%	50,179.00	-	50,179.00	7,527.00	42,652.00
रेफ्रिजरेटॅर	15%	8,352.00	-	8,352.00	1,253.00	7,099.00
एयर कंडीशॅनर	15%	147,527.00		147,527.00	22,129.00	125,398.00
लैमीशन मशीन	15%	4,009.00	-	4,009.00	601.00	3,408.00
उप-योग		**379,640.00**	-	**379,640.00**	**56,946.00**	**322,694.00**
				-	-	
प्रिंटर	60%	1,944.00	-	1,944.00	1,166.00	778.00
लैपटॉप	60%	36,584.00	-	36,584.00	21,950.00	14,634.00
सॉफ्टवेयर(प्रेजि)	60%	1,248.00	-	1,248.00	750.00	498.00
उप-योग		**39,776.00**	-	**39,776.00**	**23,866.00**	**15,910.00**
				-	-	
कुल		**569,949.00**	-	**569,949.00**	**95,865.00**	**474,084.00**

अनुसूची 6 : निवेश - मियादी जमा

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (कॉर्पस)	250,000,000	250,000,000
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (अन्य)	62,000,000	62,000,000
आई.सी.आई.सी.आई बैंक में मियादी जमा (अन्य)	19,800,000	19,800,000
कुल	**331,800,000**	**331,800,000**

अनुसूची 7- चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
ए. चालू परिसंपत्तियां :		
भारतीय स्टेट बैंक खाता में शेष(बैलेंस)	28,711,116	25,032,051
बी. ऋण एवं अग्रिम/प्राप्य		
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2016-17	2,678,895	2,678,895
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2017-18	2,779,561	2,779,561
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2018-19	2,479,280	2,479,280
टी.डी.एस लेखा वर्ष 2019-20	2,171,494	-
कार्यालय अग्रदाय(इम्प्रेस्ट)	21,351	9,704
प्रतिभूति जमा (आई.एस.डी.)	2,000	2,000
मियादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	5,307,195	3,827,966
कुल	**44,150,892**	**36,809,457**

अनुसूची 8- अर्जित ब्याज

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
–		
भारतीय स्टेट बैंक में मियादी जमा (कॉर्पस) पर ब्याज	15,625,051	19,258,693
भारतीय स्टेट बैंक तथा आई.सी.आई.सी.आई बैंक में अन्य मियादी जमा पर ब्याज	6,089,398	5,533,443
भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए बचत खाता पर ब्याज	1,085,861	974,969
घटाएं : एम.आई.डी.एच में अंतरित ब्याज	261,760	347,403
बचत खाता पर नेट(Net) ब्याज	824,101	627,566
कुल	**22,538,550**	**25,419,702**

अनुसूची 9- प्रशासनिक व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु
लेखापरीक्षा फीस	-	63,130
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	22,939	35,223
यात्रा खर्चे	12,588	53,449
काट्रिज	38,840	38,805
टेलीफोन एवं इंटरनेट	90,468	107,844
चिकित्सा बीमा	34,000	25,000
प्रोफेशनल प्रभार	920,380	727,200
विविध खर्चे	12,383	11,060
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	15,142	13,085
परिवहन प्रभार	543,644	419,489
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	50,934
एन.पी.एस प्रभार	971	1,681
बैंक प्रभार	3,397	2,168
अतिथि/कर्मचारी कल्याण	53,865	45,773
कुल	**1,748,617**	**1,594,841**

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र

31 मार्च, 2019 तक तुलन-पत्र के हिस्से वाले खातों पर लेखांकन नीतियां और नोट्स

नोट 10

लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का अनुसरण करते हुए खातों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया जाता है तथा प्रोद्भूत आधार पर आय और व्यय को पहचाना जाता है। लेखांकन नीतियों को विशेष रूप से अन्यथा संदर्भित नहीं किया जाता है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं।

2) वर्ष के दौरान अधिग्रहित स्थायी परिसंपत्तियां क्रय के वर्ष में आय और व्यय खातों में प्रभारित की जाती हैं और साथ ही प्रत्यक्ष एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु स्थायी परिसंपत्ति खातों के तहत तुलन-पत्र में स्थानांतरित की जाती हैं।

3) निर्धारित समयावधि में दर्शाई गई परसंपत्तियों के मूल्य को कम करने हेतु वार्षिक आधार पर मूल्यह्रास को प्रभारित किया जाता है, और लागू आयकर दरों के अनुसार प्रति प्रविष्टियों के अनुसार घटाया गया है।

4) निवेश लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

5) विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन तिथि को प्रचलित विनिमय की दर से दर्ज किया जाता है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में मौद्रिक मूल्य के लेन-देन में अंतर और विदेशी मुद्रा दरों पर साधित पूंजीगत लाभ/हानि को चालू वर्ष में खातों में मान्यता दी गई है।

6) एम.आई.डी.एच को अपनी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी(N.L.A) की सेवा प्रदान करने हेतु आबंटित निधियों को अलग खातों में रखा गया है और तदनुसार अनुमोदित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।

खातों पर टिप्पणियां(नोट्स ऑन अकाउंट्स)

1) सोसायटी आयकर अधिनियम की धारा 12एए के तहत पंजीकृत है और इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 हेतु आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं, क्योंकि सोसायटी की आय को आई.टी अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट प्रदान की गई है। इसने वित्त वर्ष 2015-16 से आई.टी अधिनियम की धारा 11(2) के तहत रु. 5,55,66,030 की धनराशि जमा की है, जिसे प्रति पांच वर्षों में उपयोग किया जाना है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :

वित्त वर्ष	**धनराशि**
2015-16	1,83,10,095
2016-17	1,52,72,603
2017-18	1,22,44,874
2018-19	97,38,458
कुल	5,55,66,030

2) राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र द्वारा कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जी.एस.टी से छूट दी गई है।

3) सोसायटी को बागवानी एकीकृत विकास मिशन(एम.आई.डी.एच) से राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी (एन.एल.ए) के रूप में सेवाएं प्रदान करने हेतु धनराशि प्राप्त हुई थी। दिनांक 31.03.2019 को रु. 79,18,640/-(अव्ययित धनराशि पर रु. 2,61,760/- के ब्याज सहित) के अप्रयुक्त शेष(बैलेंस) अनुपयोगी रहा।

4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सेवा की शर्तों के अनुसार सी.ई.ओ, एन.सी.सी.डी को देय वार्षिक सेवा वेतन वृद्धि के संबंध में किसी देयता का प्रावधान नहीं किया गया है। जारी करने के लिए प्रक्रियात्मक मंजूरी के अभाव में धनराशि फरवरी, 2018 से लंबित है।

संलग्न समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ.आर.एन : 001876**एन**

कृते राष्ट्रीय चेन-कोल्ड विकास केंद्र

(सी.ए जितेंद्र नाथ)
साझेदार
सदस्यता सं. 015549

(के.के. ढींगरा)
सलाहकार वित्त

(पवनेष कोहली)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

(प्रशांत कुमार स्वाईं)
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26-9-2019